(18)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1474–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–05–2015 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन प्रकरण कमांक 440/2014–15/अपील

.....

श्रीमती जस्सीबाई पति स्व0 भेराजी (मृत) वारिस–
1. रतनलाल पिता भेराजी
   निवासी ग्राम रतनाखेडी तहसील नागदा
   जिला उज्जैन
2. गीताबाई पति कानाजी
   निवासी ग्राम रतनाखेडी तहसील नागदा
   जिला उज्जैन (म0प्र0)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा पटवारी
ग्राम रतनाखेडी तहसील नागदा
जिला उज्जैन ..... अनावेदक

.....

श्री रमेश मूणत, अभिभाषक, आवेदकगण

.....

:: आ दे श ::

( आज दिनांक 10 अगस्त 2015 को पारित )

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी भू–राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे केवल संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–05–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदकों के अभिभाषक ने तर्क दिया कि आवेदक क 1 की मां जस्सीबाई की मृत्यु दिनांक 3–8–13 को हो गई थी। आवेदक की मां ही प्रकरण में उपस्थित होती थी और प्रकरण की जानकारी भी उसी को थी। मां की मृत्यु के पश्चात खाद–बीज हेतु ऋण लेने हेतु खसरा बी–1 की नकल लेने हेतु दिांक 25–6–14 को पटवारी मौजा नागदा के पास गया तो उसने बताया कि जमीन शासन के नाम हो चुकी है। तत्पश्चात आवेदक ने आदेश की नकल निकलवाकर जानकारी दिनांक से समयावधि में अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की थी जिसे अपर आयुक्त ने समयबाधित मानने में त्रुटि की है। यह भी तर्क दिया कि उक्त भूमि वर्ष 1963–64 से रामा पिता भेराजी एवं कमलाबाई पति रामाजी के नाम से राजस्व रिकार्ड में चली आ रही थी और आवेदकों ने इसी आधार पर भूमि को रजिस्टर्ड विकय पत्र से कय की थी। अब अचानक वर्ष 2011–12 शासकीय दर्ज़ कर महादेव चबुतरा वाके देव हाजा ग्राम रतनाखेउी के नाम अंकित करने के आदेश देने में अवैधानिक कार्यवाही की। इसी अवैधानिक आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी जिसे अपर आयुक्त ने अवधि बाधित मानने में त्रुटि की है। अतः अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाये।

3/ आवेदकों के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि आवेदकगणों ने रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से प्रश्नाधीन भूमि कय की थी। आवेदक द्वारा बताया कि उसकी मां जो विवादित प्रकरण में उपस्थित होती थी तथा उसी को प्रकरण की जानकारी थी तथा जस्सीबाई की मृत्यु के पश्चात उसके द्वारा समय–सीमा में अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। अपील के साथ धारा 5 का आवेदन मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया था जिसपर अपर आयुक्त ने विचार न कर अपील को समयबाधित मानने में त्रुटि की है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है–

1997 आरएन 310 दीपचंद गुजकर विरूद्ध संयुक्त रजिस्ट्रार में न्याय दृष्टांत 1987 (सु कोर्ट) 1353 पर अविलबिंत होते हुये निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया गया–

"धारा 5 विलम्ब माफ किया जाना– विषय के गुणागुण पर सारवान न्याय किया जाना चाहिए– मामला देरी आदि से दाखिल करने पर पक्षकार को कोई फायदा नहीं मिलेगा। विलम्ब की माफी के आवेदन के विनिश्चयन के समय इस सिद्धांत को विचार में लिया जाना चाहिए।"

चूंकि आवेदक प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है और उसकी मां की मृत्यु के पश्चात उसके द्वारा अपील जानकारी दिनांक से समय–सीमा में प्रस्तुत की गई थी, अतः अपर आयुक्त को उक्त अपील को समय–सीमा में मानकर गुण–दोष पर आदेश पारित करना चाहिए था। दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त उज्जैन का आदेश दिनांक 20–5–15 निरस्त किया जाकर अपील को समय–सीमा में मानकर गुण–दोषों पर निराकरण हेतु अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर